

DFO द्वारा स्थल निरीक्षण के लिए निर्धारित जाँच सूची

महा प्रबंधक म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजन क्रियान्वयन ईकाइ शहडोल द्वारा प्रस्तावित करनपुरा-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के तहत 0.841 हे. वनभूमि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा दिनांक 02.05.2020 को निरीक्षण किया गया। विवरण निम्नानुसार है:

क्र	विशेष	DFO(T) द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट
1.	सीमा हेक्टेयर	0.841 हे0
2.	डायवर्जन के लिए प्रस्तावित वनभूमि के स्थान (अक्षांश, देशांस)	पृथक से संलग्न है।
3.	वन भूमि (संरक्षित वन / आरक्षित वन / राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति	आरक्षित/संरक्षित
4.	अस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन।	आवेदक संस्था एवं वन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त स्थल सत्यापन किया गया है।
5.	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	अतिक्रमण के कोई लक्षण नहीं है।
6.	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण।	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है।
7.	वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता / प्रजाति संरचना आदि.	मिश्रित एवं साल, साजा प्रजाति के वन है, गुणवत्ता श्रेणी III एवं IV, IVB है।
8.	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्राय वन्य जीवों की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	क्षेत्र में मानव जीव गतिविधियाँ अधिक होने से वन्यप्राणियों की उपस्थिति कम है।
9.	वनस्पति/ पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता।	कोई अद्वितीय परिस्थिति तंत्र मौजूद नहीं है।
10.	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे हैं तो कार्यआयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों?	प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार पी.डब्ल्यू.सी. एवं आर.डी.एफ. कार्य वृत्त के अन्तर्गत है।
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का क्षेत्र नहीं है।
12.	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/ परिवार का निर्भरता	प्रस्तावित भूमि पर व्यक्तियों/ परिवारों की निर्भरता नहीं है।
13.	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	विस्थापन की स्थिति नहीं है।
14.	वहाँ किसी भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए है? वहाँ विस्थापित करने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है?	प्रस्तावित क्षेत्र से व्यक्तियों की असहमति के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं।

15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर-वन भूमि पर है। वक्षारोपण के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगड़ी वन भूमि में है तो वर्तमान कार्यआयोजना अनुसार विवरण गैर-वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिए किया जाना चाहिए।	आवदेक संस्था द्वारा वनकीरण योजना प्रस्तावित नहीं की गई है, तथा 290 वृक्ष प्रभावित हो रहें हैं।
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बफर सीमा 10 कि.मी. के बाहर है।
17.	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिए इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी गई है।
18.	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना की स्वीकृति से ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी।
19.	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	नवीन आवेदन है।
20.	गैर-साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।	यह साइट स्पेसिफिक परियोजना है।
21.	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिए अनुरोध किया है, उपयोगता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाणपत्र	उपयोगकर्ता एजेंसी न्यूनतम वनभूमि उपयोगिता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
22.	वन भूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाइश।	परियोजना क्षेत्र में पेड आदि प्रभावित हो रहे हैं।
23.	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	निरंक
24.	परियोजना के अनुमोदन के लिए कारण के साथ डीएफओ की विशिष्ट सिफारिशें।	परियोजना साइट स्पेसिफिक है। राष्ट्रीय विकास हित में है, वनभूमि मांग न्यूनतम है, जिसकी अनुशंसा की जाती है।

स्थान - उमरिया

दिनांक - 23/6/2020

वनसंरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म0प्र0)

9/11

करनपुरा-1 ग्रामीण जन प्रदाय योजना अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि का विवरण - वनमण्डल उमरिया (म0प्र0)

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	लम्बाई मी. मे.	चौड़ाई मी. मे.	क्षेत्रफल हे०	जी.पी.एस. रीडिंग	
								शुरु	अंत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	चंदिया	कुदराटोला से चंदिया	बरमबाबा	P-49	500	0.50	0.025	N 23°38'46" E 80°41'31"	N 23°38'35" E 80°41'50"
2	—"	चंदिया से मझगवां	बरमबाबा	P-49	1700	0.50	0.085	N 23°38'11" E 80°41'48"	N 23°37'33" E 80°41'05"
3	—"	मझगवां से मड़वा	बरमबाबा	P-49	260	0.50	0.013	N 23°37'28" E 80°40'15"	N 23°37'22" E 80°40'43"
4	—"	मझगवां से मड़वा	बरमबाबा	P-49	35	0.40	0.001	N 23°37'7" E 80°40'32"	N 23°37'80" E 80°40'31"
5	—"	मझगवां से धतूरा	बरमबाबा	P-49	1400	0.50	0.070	N 23°37'50" E 80°41'35"	N 23°37'23" E 80°42'9"
6	—"	मझगवां से धतूरा	बरमबाबा	P-49	610	0.50	0.031	N 23°37'23" E 80°42'9"	N 23°37'3" E 80°42'15"
7	—"	मझगवां से धतूरा	बरमबाबा	P-49	423	0.50	0.021	N 23°37'3" E 80°42'15"	N 23°36'58" E 80°42'29"
8	—"	मड़वा से बांसा	बरमबाबा	P-50	635	0.50	0.032	N 23°36'33" E 80°40'32"	N 23°36'19" E 80°40'16"
9	—"	मड़वा से बांसा	कारीपाथर	P-51	240	0.50	0.012	N 23°36'15" E 80°40'28"	N 23°36'45" E 80°40'34"
10	—"	बांसा से सलैया-13	कारीपाथर	P-51	110	0.50	0.006	N 23°35'55" E 80°39'25"	N 23°35'53" E 80°39'23"
11	—"	नरवार 25 से नरवार 25	नरवार	P-57	100	0.40	0.004	N 23°32'33" E 80°41'55"	N 23°32'33" E 80°41'51"
12	—"	मझगवां से धतूरा	बरमबाबा	P-61	770	0.50	0.039	N 23°36'58" E 80°42'29"	N 23°37'5" E 80°42'56"
13	—"	पाली से बड़वार	बरमबाबा	P-61	1223	0.30	0.037	N 23°37'16" E 80°44'21"	N 23°37'52" E 80°43'56"
14	—"	धतूरा से धतूरा ग्राम	बरमानी	P-62	200	0.40	0.008	N 23°34'59" E 80°42'44"	N 23°34'53" E 80°42'48"
15	—"	पाली से पाली ग्राम	बरमानी	P-64	380	0.30	0.011	N 23°35'36" E 80°44'31"	N 23°35'26" E 80°44'30"
16	—"	पाली से पाली ग्राम	बरमानी	P-64	190	0.30	0.006	N 23°35'48" E 80°44'35"	N 23°35'54" E 80°44'38"
17	—"	पाली से पाली ग्राम	बरमानी	P-64	1001	0.30	0.030	N 23°35'48" E 80°44'35"	N 23°36'12" E 80°44'36"
18	—"	पाली से बड़वार	बरमानी	P-64	590	0.30	0.018	N 23°36'25" E 80°44'55"	N 23°36'43" E 80°44'46"
19	—"	लोढ़ा से पाली	बरमानी	P-65	690	0.50	0.035	N 23°35'13" E 80°45'34"	N 23°35'33" E 80°45'24"
20	—"	पाली से पाली ग्राम	बरमानी	P-65	380	0.30	0.011	N 23°35'33" E 80°44'47"	N 23°35'35" E 80°44'34"
21	—"	बहेरवाह से लोढ़ा ग्राम	बरमानी	P-65	440	0.50	0.022	N 23°34'13" E 80°43'50"	N 23°34'17" E 80°44'5"
22	—"	बहेरवाह से लोढ़ा ग्राम	बरमानी	P-65	1300	0.50	0.065	N 23°34'17" E 80°44'15"	N 23°34'31" E 80°44'59"
23	—"	धतूरा से बहेरवाह	बरमानी	P-65	470	0.50	0.024	N 23°34'28" E 80°43'46"	N 23°34'13" E 80°43'50"
24	—"	धतूरा से बहेरवाह	बरमानी	P-65	830	0.50	0.042	N 23°34'24" E 80°43'15"	N 23°34'35" E 80°43'42"

25	—''—	बहेरवाह से नरवार 25	बरमानी	P-66	20	0.40	0.001	N 23'33'34" E 80'43'10"	N 23'33'34" E 80'43'12"
26	—''—	बहेरवाह से नरवार 25	बहेरवाह	P-68	200	0.40	0.008	N 23'32'51" E 80'42'26"	N 23'32'45" E 80'42'27"
27	—''—	बहेरवाह से नरवार 25	बहेरवाह	P-68	750	0.40	0.030	N 23'33'29" E 80'42'36"	N 23'33'4" E 80'42'29"
28	—''—	धतूरा से चंदिया	धतूरा	R-11	1600	0.40	0.064	N 23'35'55" E 80'42'47"	N 23'35'4" E 80'42'43"
29	—''—	चंदिया से धतूरा	धतूरा	R-11	1100	0.50	0.055	N 23'36'31" E 80'42'47"	N 23'35'55" E 80'42'48"
30	व.वि.नि.	धनवाही से घंघरी	उमरिया कैम्प	R-210 (825)	288	0.40	0.012	N 23'33'10" E 80'51'31"	N 23'33'3" E 80'49'48"
31	—''—	छटन से घंघरी	उमरिया कैम्प	R-211 (826)	405	0.40	0.016	N 23'33'34" E 80'51'31"	N 23'32'43" E 80'50'6"
32	—''—	बड़ेरी से बड़ेरी ग्राम	उमरिया कैम्प	R-217 (689)	534	0.20	0.011	N 23'34'31" E 80'52'16"	N 23'34'31" E 80'20'8"
		योग :-			19374		0.841		

वनसंरक्षक
एवं पट्टेन वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म०प्र०)